

C

(Printed Pages 7)

Roll No. _____

18/2603

विधि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा, 2018

LL.B. Second Semester Examination, 2018

तृतीय प्रश्न-पत्र

Third Paper

पारिवारिक विधि-II

(Family Law-II)

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

Time : Three Hours

Maximum Marks : 100

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक-एक प्रश्न किया जाना है।

Note: Answer **five** questions in all. Short answer type **Question No.1** carrying **40** marks is **compulsory**. Answer **one** question carrying **15** marks from each unit.

P.T.O.

18/2603

नोट : लघु-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है।

Note : The answers to short questions should not exceed 200 words and the answers to long questions should not exceed 500 words.

1. निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। $4 \times 10 = 40$

Write short answers of the following:

(i) सहदायिकी के मूल विशेषताओं को समझाइए।

Explain basic features of Coparcenary.

(ii) अव्यवहारिक ऋण से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by Avyavaharika debt?

(iii) संयुक्त हिन्दू परिवार एवं सहदायिकी में अन्तर कीजिये।

Distinguish between Joint Hindu family and Coparcenary.

(iv) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मूल विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए।

Write note on the basic features of the Hindu Succession Act. 1956.

- (v) हिन्दू विधि के अन्तर्गत बँटवारे के पुनः खोलने से सम्बन्धित विधि की व्याख्या कीजिये।

Explain law relating to re-opening of partition under Hindu Law.

- (vi) "पूर्व-क्रयाधिकार एक कमजोर अधिकार है।" समझाइए।
"Pre-emption is a weak right." Explain.

- (vii) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कौन-कौन से लोग उत्तराधिकार से वंचित किये गये हैं?

Who are the persons excluded from inheritance under Muslim Law?

- (viii) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मुशा के हिबा के सिद्धान्त को समझाइये।

Explain the doctrine of Hiba of Mushha under Muslim Law.

- (ix) वसीयत के ह्रास से सम्बन्धित मुस्लिम विधि के अन्तर्गत क्या नियम हैं?

What are the rules regarding abatement of legacy under Muslim Law?

- (x) सुन्नी एवं शियां विधि के अन्तर्गत आजीवन हित के दान के क्या नियम हैं?

What are the rules regarding gift of life interest under Sunni and Shia Law?

इकाई - प्रथम / Unit - I

2. बँटवारे के पूर्व एवं बाद में पिता के द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान के लिये पुत्र का क्या दायित्व होगा? विवेचना कीजिये।

What will be the liability of a son to pay his fathers debt contracted before and after partition? Discuss.

अथवा / OR

3. एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की सम्पत्ति को कब पृथक या पैत्रिक सम्पत्ति कहा जायेगा? व्याख्या कीजिये।

When will the property of a member of a Joint Hindu family be called a separate or ancestral property? Explain.

इकाई - द्वितीय / Unit - II

4. "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी प्राविधानों को समाहित करता है एवं लैंगिक न्याय की तरफ भी एक कदम है।" इस कथन का समर्थन तर्कों से कीजिये।
- "Section 14 of the Hindu Succession Act, 1956 contains revolutionary provisions in respect of Hindu women's property rights and is also a step towards gender justice." Justify this statement with arguments.

अथवा / OR

5. बँटवारे से आप क्या समझते हैं? एक हिन्दू के किन सम्पत्तियों का बँटवारा किया जा सकता है? बँटवारे के पूर्व की शर्तें क्या हैं?

What do you understand by partition? Which properties of a Hindu can be partitioned? What are pre-conditions of partition?

इकाई - तृतीय / Unit - III

6. हिबा की परिभाषा दीजिये एवं इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिये।

Define Hiba and explain its essential conditions.

अथवा / OR

7. सुन्नी एवं शिया विधि के अन्तर्गत एक वैध वसीयत के आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिये।

Explain essential conditions of a valid Will under Sunni and Shia Law.

इकाई - चतुर्थ / Unit - IV

8. मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये।

Discuss the principles of Muslim Law of inheritance.

अथवा / OR

9. पूर्व-क्रयाधिकार के अधिकार का परीक्षण कीजिये एवं इस अधिकारों के दावे को प्रभावी बनाने के लिये औपचारिकताओं की व्याख्या कीजिये।

Examine the nature of right of Pre-emption and explain the formalities for making claim of this right effective.